<u>न्यायालय सिविल जज जू0डि0,टाण्डा, अम्बेडकरनगर।</u>

वंशराज ——बनाम—— गॉव सभा

मूलवाद सं0 888 / 92

दिनांक

01.04.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। पुकार पर पक्षकारगण उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद में दिनांक 08.12.2010 को अग्रिम आदेश तक की कार्यवाही पर स्टे कराया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03. 2018 को Asian Resurfacing Of Road Agency Private Limited And Others V/S Central Bureau Of Investigation के वाद में निर्धारित पैरामीटर (Parameter) पर Speaking Order द्वारा आगे न बढ़ाया गया हो तो विचारण न्यायालय उपरोक्त विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्यवाही आगे अग्रसारित कर सकेगी। चूॅकि इस वाद में आदेश दिनांक 08.12.2010 के बाद कोई स्थगन के बावत आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट हो कि इस वाद की कार्यवाही में स्थगन है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस वाद में स्थगन स्वतः समाप्त हो चुका है।

दिनांक 02.03.2021 को वादी को आदेशित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय से यदि कोई स्थगन इस पत्रावली के बावत उसे प्राप्त है तो पत्रावली पर प्रस्तुत करे परन्तु आज वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे स्पष्ट हो सके कि पत्रावली में कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित है, प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में लंबित पॉच पुराने वादों की सूची में शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पॉच पुराने वादों की सूची में शामिल पत्रावलियों के निस्तारण हेतु दिशा—निर्देश जारी है। वादी को चेतावनी के साथ एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि यदि अग्रिम नियत दिनांक पर वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विपरीत आदेश पारित करने का पर्याप्त आधार होगा। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 09.04.2021 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,टाण्डा

अम्बेडकरनगर

जे0ओ0 कोड यूपी2353

Digitally signed by Priti Bhushan
Date: 2021.04.05 12:46:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court